भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1438

09.02.2026 को उत्तर के लिए

प्रदूषण पर रोक

1438. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

श्री खलीलुर रहमानः

श्री सेल्वाराज वी.:

श्री सुब्बारायण के.:

श्री जगदीश शट्टरः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2011 के बाद से पिछले दशक में चीन ने शहरी पीएम 2.5 के स्तर को 32 प्रतिशत तक और विश्व स्तर पर लगभग 10 प्रतिशत तक कम कर दिया है, जबकि इसी अवधि के दौरान भारत का औसत केवल 0.4 प्रतिशत बदला है

(ख) क्या यह भी सच है कि देश के कई शहरों जैसे पुणे, सूरत, हैदराबाद आदि में इस अवधि के दौरान PM 2.5 का स्तर स्थिर रहा है या और खराब हो गया है:

(ग) नवीनतम निगरानी आंकड़ों के अनुसार, देश के प्रमुख शहरों और औद्योगिक केंद्रों में वायु प्रदूषण (पीएम 2.5. पीएम 10, नाईट्रस ऑक्साईड, सल्फर डाई-ऑक्साईड) का वर्तमान स्तर क्या है;

(घ) मौजूदा नियमों के बावजूद कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से ऊपर बने रहने के क्या कारण हैं;

(ङ) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए कानून के तहत दंड के प्रावधानों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने के लिए दंडित किए गए उद्योगों और वाहनों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) वायु प्रदूषण को कम करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं, विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई और अन्य शहरी क्षेत्रों में जो गंभीर प्रदूषण का सामना कर रहे ?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च): विभिन्न देशों में प्रदूषण के स्तर की सीधी तुलन नहीं की जा सकती है। क्योंकि हर प्रदेश के

भौगोलिक परिवेश, मौसम की स्थिति और राष्ट्रीय परिस्थितियों में अंतर होता है। वायु प्रदूषण कई कारकों का सामूहिक परिणाम है जिसमें भौगोलिक कारक, उच्च घनत्व वाले आबादी वाले क्षेत्रों में मानवजनित गतिविधियों, जो वाहनों का प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण और विध्वंस परियोजना गतिविधियों से धूल, सड़क और खुले क्षेत्रों की धूल, बायोमास जलना, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जलना, लैंडफिल में आग, बिखरे स्रोतों से वायु प्रदूषण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों का योगदान शामिल है।

भारत सरकार ने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को एक दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 24 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदूषण मानकों को पूरा न करने वाले और दस लाख से अधिक आबादी वाले 130 शहरों /शहरी समूह में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करना है, जिसमें दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, सूरत, हैदराबाद के 06 शहर शामिल हैं।

एनसीएपी के तहत सभी 130 शहरों द्वारा संबंधित शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार उपायों को लागू करने के लिए शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। ये योजनाएं मिट्टी और सड़क की धूल, वाहनों के उत्सर्जन, अपशिष्ट दहन, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों और औद्योगिक प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण स्रोतों को लक्षित करती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं विभिन्न नीति और प्रवर्तन उपायों को क्रियान्वित करके समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से पीएम10 और पीएम2.5 दोनों का समाधान करती हैं।

पुणे, सूरत, हैदराबाद, मुंबई, बंगलौर, चेन्नई और दिल्ली-एनसीआर के 6 शहरों को एनसीएपी के तहत शामिल किया गया है और संबंधित शहरों द्वारा शहर स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं।

एनसीएपी के तहत कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 130 शहरों को 13,852.22 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। पुणे, सूरत, हैदराबाद, मुंबई, बंगलौर, चेन्नई और दिल्ली-एनसीआर के 6 शहरों को प्रदान किए गए महत्वपूर्ण अंतर वित्तपोषण का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

एनसीएपी के तहत 130 शहरों द्वारा केंद्रित और समन्वित कार्यों में सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं, जिसमें 103 शहरों में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2024-25 में पीएम10 सांद्रता में कमी देखी गई है, 64 शहरों ने आधार वर्ष 2017-18 की तुलना में पीएम10 स्तरों में 20% से अधिक की कमी देखी गई है और इनमें से 25 शहरों ने 40% से अधिक की प्रदूषण स्तर में कमी हासिल की है। कुल 22 शहरों ने राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा किया है और उनमें पीएम10 सांद्रता 60 माइक्रोग्राम / मीटर 3 से कम है।

इसके अलावा, एनसीएपी के तहत 130 शहरों में से 40 शहरों में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2024 में पीएम2.5 के स्तर में कमी देखी गई है और 56 शहरों ने वर्ष 2024 में पीएम2.5 (वार्षिक मानक: 40

माइक्रोग्राम/मीटर) के लिए राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा किया है, जिसमें मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और सूरत शामिल हैं। वर्ष 2024 के लिए प्रमुख शहरों के लिए पीएम10 और पीएम 2.5 स्तर **अनुलग्नक II** में संलग्न हैं।

इसके अलावा, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 क और जल अधिनियम, 1974 की धारा 33 क राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अपने कार्यों के निष्पादन के लिए किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को निर्देश जारी करने की शक्तियां प्रदान करती हैं, जिसमें किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया को बंद करने, निषेध या विनियमन, बिजली, पानी और किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकने या विनियमन के लिए निर्देश शामिल हैं।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981 और जल अधिनियम 1974 में संबंधित अधिनियमों, नियमों, आदेशों और संबंधित अधिनियम के तहत जारी निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कम से कम दस लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है, जो पंद्रह लाख रुपये तक हो सकता है।

वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अध्याय-6 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अध्याय-3 के प्रावधानों के तहत प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए दंड निर्धारित किए गए हैं।

सीपीसीबी ने सभी 17 श्रेणियों के उच्च प्रदूषण क्षमता वाले उद्योगों और सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार सुविधाओं के निगरानी तंत्र को मजबूत करने और प्रदूषण के स्तर पर निरंतर निगरानी के माध्यम से स्व-नियामक तंत्र और प्रभावी अनुपालन के लिए ऑनलाइन संतत् अपशिष्ट / उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने का निर्देश दिया है। ओसीईएमएस के माध्यम से जनरेट किए गए औद्योगिक अपशिष्ट और उत्सर्जन के पर्यावरणीय प्रदूषकों के रियल टाइम के मूल्यों 24-7 आधार पर सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी / पीसीसी को ऑनलाइन प्रेषित किए जाते हैं। केंद्रीय सॉफ्टवेयर प्राप्त आंकडों को संसाधित करता है और प्रदूषक पैरामीटर निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों से अधिक होने पर, एक स्वचालित एसएमएस अलर्ट उत्पन्न होता है और इसे संबंधित औद्योगिक इकाई, एसपीसीबी और सीपीसीबी को भेजा जाता है, ताकि उद्योग द्वारा तुरंत सुधारात्मक उपाय किए जा सकें और संबंधित एसपीसीबी / पीसीसी / सीपीसीबी द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके।

लगभग, 7000 उद्योगों ने सीपीसीबी सर्वर के साथ ओसीईएमएस स्थापित और कनेक्ट किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान यानी 2023-25 में, ओसीईएमएस-आधारित निरीक्षणों के तहत कुल 412 इकाइयों का निरीक्षण किया गया। इन 412 इकाइयों में से 252 इकाइयां पर्यावरण मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रही थीं, जिसके खिलाफ उल्लंघन की गंभीरता और पर्यावरण कानूनों के प्रावधानों के आधार पर उचित कार्रवाई की गई है। इसका विवरण इस प्रकार है:

I. ईपीए, 1986 के 5 धारा के तहत समापन निर्देश :6,

II. ईपीए, 1986 की धारा 5 के तहत:कारण बताओ नोटिस निर्देश /143,

III. आगे की कार्रवाई के लिए जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 की धारा 18(1) (बी :पीसीसी को निर्देश / के तहत एसपीसीबी (70

IV. इकाई को पत्र के रूप में निर्देश :33

दिल्ली-एनसीआर और अन्य प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए कदम अनुलग्नक III में संलग्न हैं।

***

अनुलग्नक I

दिल्ली-एनसीआर के शहरों समेत बड़े शहरों को दी गई धनराशि (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2025-26 तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम.सं.	राज्य	शहर	निधि जारी
1	दिल्ली	दिल्ली	81.36
2	हरियाणा	फरीदाबाद	107.14
3	राजस्थान	अलवर	25.15
4	उत्तर प्रदेश	नोएडा	55.70
5		गाजियाबाद	257.89
6		मेरठ	187.99
7	तमिलनाडु	चेन्नई	582.65
8	महाराष्ट्र	मुंबई	950.14
9		पुणे	271.30
10	गुजरात	सूरत	328.60
11	तेलंगाना	हैदराबाद	727.18
12	कर्नाटक	बेंगलुरु	541.10
	कुल		**4116.20**

अनुलग्नक II

वर्ष 2024 के लिए दिल्ली-एनसीआर के शहरों समेत बड़े शहरों के लिए PM10 और PM 2.5 का मान

क्रम संख्या	शहरी क्षेत्र (यूए) /शहर का नाम	राज्य	वार्षिक औसत सांद्रता	
			पीएम10 (µg/m3)	पीएम2.5 (µg/m3)
1.	पुणे	महाराष्ट्र	92	37
2.	सूरत	गुजरात	83	34
3.	हैदराबाद	तेलंगाना	78	30
4.	बेंगलुरु यूए	कर्नाटक	70	33
5.	चेन्नई यूए	तमिलनाडु	60	27
6.	दिल्ली यूए	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	220	111
7.	ग्रेटर मुंबई यूए	महाराष्ट्र	87	34
8.	हैदराबाद यूए	तेलंगाना	78	30
9.	कोलकाता यूए	पश्चिम बंगाल	96	48

अनुलग्नक-III

1. वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम **80** से अधिक उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।
2. **1** अप्रैल **2020** से भारत स्टेज-**6** (बीएस-**6**) उत्सर्जन मानदंडों पर छलांग।
3. वाहन स्क्रैपिंग नीति, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के लिए नियमएमओआरटीएच।-
4. ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, बायोमेडिकल अपशिष्ट, टीपीपी से फ्लाई ऐश के लिए अपशिष्ट प्रबंधन नियम।
5. अपशिष्ट श्रेणियों के लिए पेश किए गए बाजार-आधारित विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) विनियम, अर्थात। प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-कचरा, बैटरी कचरा, बेकार टायर, इस्तेमाल किया गया तेल, वैधता समाप्त होने वाले वाहन, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट और गैर-लौह धातु का स्क्रैप।
6. **12** एकलकी पहचान की गई (एसयूपी) उपयोग प्लास्टिक-, और उच्च कूड़ा क्षमता और कम उपयोगिता वाले प्लास्टिक, **1** जुलाई, **2022** से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
7. एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में थर्मल पावर प्लांट में कोयले के साथ फसल (ब्रिकेट / पेलेट) अवशेष के न्यूनतम**5%** के उपयोग के लिए अधिदेश।

(8). दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय

(i) माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में **08.08.2025, 16.09.2025, 10.10.2025, 11.11.2025, 26.11.2025, 03.12.2025, 15.12.2025, 16.12.2025, 17.12.2025, 19.12.2025, 06.01.2026, 12.01.2026, 20.01.2026** और **02.02.2026** को नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, ताकि दिल्ली-एनसीआर में राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित कार्य योजनाओं और विभिन्न वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा की जा सके और वायु प्रदूषण में कमी के उपायों और रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया जा सके। इस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को और मजबूत किया जा सके।

(ii) फसल अवशेष जलाने के प्रबंधन के मुद्दों पर माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (एमए एंड एफडब्ल्यू) की सह-अध्यक्षता में **07.10.2025** को मंत्री स्तरीय अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई थी।

(iii) दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन

आयोग अधिनियम, **2021** के तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की स्थापना की गई है।

(iv) आयोग ने अब तक क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में विभिन्न कार्यों का विशेष मार्गदर्शन और निर्देशन करने के लिए **95** वैधानिक निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है।

(v) आपात स्थिति में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, दिल्ली-एनसीआर के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) तैयार किया गया है, जो वायु प्रदूषण के स्तर की गंभीरता के आधार पर आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यों का एक सेट प्रदान करता है, और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए चिह्नित एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, एक ऐसी स्थिति जो आम तौर पर दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के चरम महीनों के दौरान बनी रहती है।

(vi) दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के लिए **5340** सीएनजी / ई-बसों को तैनात किया गया है, जिसमें **3535** ई-बसें शामिल हैं। भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत दिल्ली के लिए **2800** ई-बसों और **1100** ई-ट्रकों का आवंटन किया गया है।

(vii) एनसीआर क्षेत्र के भाग लेने वाले शहरों फरीदाबाद), गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, करनाल और अलवर के लिए कुल (**450** इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत, बीटीएम पावर और सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एनसीआर क्षेत्र को अब तक कुल **35.77** करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है। विशिष्ट रूप से इलेक्ट्रिक बसें प्रदान करके, योजना उत्सर्जन को कम करने और टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा देने में मदद करती है। इसके अलावा, रुकी . राशि वित्तीय वर्ष **2014-15** से आगे दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में मेट्रो रेल आरआरटीएस / परियोजनाओं के लिए**66,718.47** करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(viii) एनसीआर में सभी उद्योगों को अनुमोदित ईंधन में स्थानांतरित कर दिया गया है। दिल्ली-एनसीआर में 240 औद्योगिक क्षेत्रों में से 224 औद्योगिक क्षेत्रों को पीएनजी कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, 6 को कैस्केड प्रणाली के माध्यम से प्रदान किया गया है। एनसीआर में उद्योगों के लिए सख्त उत्सर्जन मानदंडों को अनिवार्य करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

(ix) स्वच्छ गतिशीलता को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, दिशा संख्या। सीएक्यूएम द्वारा 23.12.2025 को संशोधित दिनांक 03.06.2025 को जारी किए गए नियम 94 में यह अनिवार्य किया गया है कि मोटर वाहन एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स संस्थाएं 01.01.2026 से अपने मौजूदा चार पहिया एलसीवी, चार पहिया एलजीवी (एन1 श्रेणी 3.5 टन तक) और दोपहिया

वाहनों के बेड़े में केवल डीजल या पेट्रोल से चलने वाले किसी भी पारंपरिक आईसीई वाहनों को शामिल नहीं करेंगी। हालांकि, 31.12.2026 तक मौजूदा बेड़े में बीएस-6 उत्सर्जन मानक वाले दोपहिया वाहनों को शामिल करने की अनुमति दी गई है।

(x) सीएक्यूएम द्वारा पड़ोसी राज्यों से आने वाली सार्वजनिक परिवहन बसों को बीएस-6 डीजल / सीएनजी / ईवी में स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए गए थे। 01.11.2026 से, केवल सीएनजी / ईवी / बीएस-6 डीजल बसों, जिनमें पर्यटक बसें भी शामिल हैं, को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है।

(xi) वाणिज्यिक माल वाहनों की गैर-बीएस-6 कम माल, मध्यम माल और उच्च माल वाहनों के साथ दिल्ली में प्रवेश को 01.11.2025 से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें 31.10.2026 तक बीएस-6 वाहनों के लिए सीमित, समयबद्ध छूट है।

(xii) निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से वायु प्रदूषण का समाधान करने के लिए, 500 वर्ग मीटर से अधिक के निर्मित क्षेत्र वाली निर्माण परियोजनाओं को वीडियो फेंसिंग, रिमोट एक्सेस, मानकीकृत चेकलिस्ट, पाक्षिक स्व-ऑडिट और पीएम 2.5 / पीएम 10 मॉनिटर की स्थापना के प्रावधानों के साथ, एसपीसीबी / डीपीसीसी पोर्टलों पर पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है।

(xiii) सीएक्यूएम द्वारा नियमित समीक्षा के साथ, दिल्ली-एनसीआर में सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा 70 धूल नियंत्रण और प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। राज्यों और जीएनसीटीडी ने धूल नियंत्रण के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाया है, जिसमें मशीनीकृत सड़क स्वीपिंग मशीनें, पानी के छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन शामिल हैं।

***